तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दावा बाबत :— बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा शांतिदेवी बनाम कमला मु.न. 2019/00232	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति —

श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी

प्राथमिक निर्णय

दिनांक :— 28.03.2022

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बडू के खसरा नम्बर 866 रकबा 0.1800 हैक्टयर भूमि स्थत है जिसका बंटवारा होने पर बंटा 1683/866 रकबा 0.13530 हैक्टयर में वादीनी 51/902 हैक्टयर बनता है पूर्व में इसी न्यायालय में एक वाद संख्या 13/2019 अनुवान शिम्भूराम बनाम कमला वगैराह जिसका निर्णय दिनांक 22.07.2019 को किया गया था जिसमें प्रतिवादी 5 का हिस्सा खसरा नम्बर 866 में 0.0447 अलग हिस्सा कर बंटवारा कर दिया गया था जिसके खसरा न्म्बर 1682/866 रकबा 0.0447 हैक्टयर कायम हुए है शेष जमीन खसरा नम्बर 1683/866 मे 0.13530 हैक्टयर में वादीनी तथा प्रतिवादी 1 से 4 का सामलाती हिस्सा है उस वक्त वादीनी ने अपने हिस्से का बंटवारा नहीं करवाया था वाद पत्र के साथ परिष्ठि "क" पेश किया है जो वाद पत्र का विभिन्नत अंग हैं। वादीनी उक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है एवं खातेदारी संयुक्त होने से वादीनी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादीनी ने यह वाद पेश कर ग्राम बडू के खसरा नम्बर 1683/866 रकबा 0.13530 हैक्टयर भूमि में वादीनी 51/902 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.02.2022 को प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में वादीनी शांतिदेवी गवाह हरदीनराम, दिलिपकुमार के बयान लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों के अवलोक एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीनी द्वारा वाद के साथ प्रदर्श— 1 जमबान्दी सम्वत 2073—76 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार जिसके अनुसार ग्राम बडू के खसरा नम्बर 1683/866 भूमि में वादीनी अन्य सह खातेदार प्रतिवादीगण के साथ 51/902 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीनी खसरा नम्बर 1683/866 रकबा 0.13530 हैक्टयर में से अपने 51/902 हिस्से का बंटवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाना चाहती है। 0.13530 हैक्टयर भूमि में 51/902 हिस्सा अर्थात 0.00765 हैक्टयर भूमि वादीनी के हिस्से में आती है, इतने से रकबा का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग किया जाना संभव नहीं है। इस न्यायालय से कृषि योग्य भूमि की खातेदारी घोषणा व बंटवारा किया जा सकता है। 0.00765 हैक्टयर भूमि का अलग होल्डिंग कायम कर नक्श ट्रेस में तरमीम किया जाना भी संभव नहीं है। जिससे वादीनी के हिस्से की भूमि का बंटवारा किया जाकर अलग होल्डिंग कायम किया उचित प्रतीत नहीं होता है। जिससे वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादीनी का वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)